

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तरवांगैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23.02.2021 को प्र0नि0 तरवां मय हमराही के साथ बिनावर देखभाल क्षेत्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में रवाना होकर खरिहानी से आगे आजमगढ़ तिराहे पर मौजूद थे कि तभी मुखबिर खास ने बताया कि मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 160/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट थाना तरवां , आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ ,जो लम्बा कद और मुंह पर हल्की पकी दाढ़ी रखा है, खरिहानी बाजार पिकेट से मेंहनगर जाने वाली रोड पर मछली अड्डा के सामने रोड पर मेंहनगर किसी नेता के पास सिफारिश हेतु जाने के फिराक में किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराहियान के साथ मुखबिर को भी साथ लेकर खरिहानी बाजार के लिये चल दिये तथा पिकेट खरिहानी बाजार पहुंच कर पिकेट पर सरकारी वाहन खड़ा कर मेंहनगर जाने वाली रोड मछली अड्डा के लिये अपने को छिपते छिपाते पैदल ही चल दिये कि मछली अड्डा के सामने ही एक लम्बा कद का व्यक्ति जिसके मुंह पर पकी हुई दाढ़ी दिखाई दे रही थी कि 20 कदम पहले मुखबिर खास उसी के तरफ इशारा करके हट बढ़ गया कि प्र0नि0 हमराह बल के साथ खड़े व्यक्ति के तरफ आगे बढ़े कि एकाएक उसकी निगाह पुलिस टीम पर पड़ गयी और मेंहनगर की तरफ भागने लगा कि हमराही कर्मचारीगण की मदद से 50-60 कदम जाते जाते घेर कर उसे पकड़ लिया गया तथा उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजेन्द्र पासी उर्फ भूसी पासी पुत्र रामबदन पासी सा0 रायपुर पलिया थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ बताया जो मु0अ0सं0 160/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट थाना तरवां , आजमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 160/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट थाना तरवां, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

राजेन्द्र पासी उर्फ भूसी पासी पुत्र रामबदन पासी सा0 रायपुर पलिया थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राजेन्द्र पासी उर्फ भूसी पासी पुत्र रामबदन पासी सा0 रायपुर पलिया थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 20/014 धारा 147/148/149/302/307/506/120B भा0द0वि0 व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 160/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 117/89 धारा 326323 भा0द0वि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0 541/2014 धारा 379/504/506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

6. NCR 82/2009 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक तरवाँ स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह

थाना तरवाँ

आबकारी अधि0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23.02.2021 को प्र0नि0 तरवाँ मय हमराह कर्मचारीगण के साथ थाना हाजा से रवाना होकर चौकी क्षेत्र रासेपुर में शाहूपुर कानूनगो गांव के सामने रोड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/वाहन चेकिंग के आदेश के अनुपालन में चेकिंग में मामूर थे कि तभी मुखबिर खास ने बताया कि मु0अ0सं0 12/2020 धारा 419/420भादवि व 60/60ए/63/72अ आबकारी अधि0 व 51/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवाँ आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रासेपुर बस स्टैंड पर खड़े वाहनो के आड़ में खड़ा है तथा ऐसा लग रहा है कि वह वाराणसी जाने वाली बस का इन्तजार कर रहा है कि मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर खास को साथ लेकर रासेपुर तिराहे के लिये चल दिये कि जैसे ही तिराहे से 20 कदम पहले पहुंचें तभी एक खड़े टैम्पो के आड़ में उम्र करीब 20 वर्ष का एक लड़का खड़ा दिखाई दिया जिसकी तरफ मुखबिर खास इशारा करके हट गया तब पुलिस टीम वाहनों की आड़ लेकर अपने को छिपते छिपाते तिराहे के नजदीक पहुंची की खड़ा व्यक्ति उपरोक्त की एकाएक निगाह पुलिस टीम पर पड़ गयी और एकाएक बोंगरिया बाजार जाने वाले रोड की तरफ भागने लगा कि वहीं पर हमराही कर्म0गण की मदद से 50 -60 कदम जाते-जाते उसे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गोलू उर्फ आसू सिंह पुत्र रामानन्द सिंह सा0 नदवां थाना तरवाँ आजमगढ़ बताया । जो थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 12/2020 धारा 419/420 भादवि व 60/60ए/63/72अ आबकारी अधि0 व 51/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवाँ , आजमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट के नामजद वांछित अभियुक्त है , को कारण मकसद गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 12/2020 धारा 419/420भादवि व 60/60ए/63/72अ आबकारी अधि0 व 51/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवाँ आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोलू उर्फ आसू सिंह पुत्र रामानन्द सिंह सा0 नदवां थाना तरवाँ आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -11/2020 धारा 302 भा0द0वि0

2. मु0अ0सं0 12/2020 धारा 419/420भादवि व 60/60ए/63/72अ आबकारी अधि0 व 51/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवाँ, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक तरवाँ स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह

थाना-रौनापार

01 वांरण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में दिनांक: 23.02.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष द्वारा मय फोर्स दबिश जा रही थी। दौरान दबिश NBW मा0 न्यायालय अपर सीजेएम कोर्ट नं0 10 आजमगढ़ मु0नं0 1296/15 धारा 147/452/336/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांरण्टी अभियुक्त 1. धरमू पुत्र परमहंस पासी निवासी कोलवा थाना रौनापार आजमगढ़ को अभि0 के घर कोलवा से समय लगभग 11.24 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धरमू पुत्र परमहंस पासी निवासी कोलवा थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SO नवल किशोर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 रामनिवाश यादवथाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 राकेश चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4.म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़